# झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

**आपराधिक अपील (एस0जे0) सं0–56 वर्ष 2004**

(एस0सी0/एस0टी0 वाद सं0–18/1999 में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–सह–विशेष न्यायाधीश, एस0सी0 एवं एस0टी0 अधिनियम मामलों के लिए, गढ़वा द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश, दोनों दिनांक 17.12.2003 के विरूद्ध)

जसमुद्दीन अंसारी उर्फ जासिम मियाँ, पे0–अब्दुल रहीम मियाँ, निवासी ग्राम–मानपुर, थाना–रंका, जिला–गढ़वा, झारखण्ड

..... ..... अपीलार्थी

बनाम्

झारखण्ड राज्य ..... ..... प्रत्यर्थी

**<u>उपस्थित</u>**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री कैलाश प्रसाद देव**

अपीलार्थी के लिए :– श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, अधिवक्ता।

राज्य के लिए :– श्री संजय कुमार पाण्डेय, अपर लोक अभियोजक।

**न्यायालय द्वाराः–** अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के अपर लोक अभियोजक सुने गए।

2. वर्तमान आपराधिक अपील एस0सी0/एस0टी0 वाद सं0–18/1999 में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–सह–विशेष न्यायाधीश, एस0सी0 एवं एस0टी0 अधिनियम मामलों के लिए, गढ़वा द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश, दोनों दिनांक

17.12.2003 के विरूद्ध दाखिल किया गया है, जिसके द्वारा एकमात्र अपीलकर्त्ता–जसमुद्दीन अंसारी उर्फ जासिम मियाँ को आई0पी0सी0 की धारा 324 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और अपीलकर्त्ता को दो साल की अवधि के लिए शांति और अच्छा व्यवहार बनाए रखने के लिए समान राशि की दो प्रतिभूतियों के साथ 2,000/– रूपया का बंध पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश देकर अपीलकर्त्ता को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत रिहा कर दिया गया है।

3. श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अपीलकर्त्ता ने बंध पत्र का निष्पादन किया है, लेकिन दिनांक 09.01.2004 के आक्षेपित निर्णय के खिलाफ यह आपराधिक अपील दाखिल किया है और दिनांक 20.02.2004 के आदेश द्वारा बंध पत्र का निष्पादन करने के आदेश को पहले ही रोक दिया गया है और तब से यह मामला इस माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित है।

4. अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि पार्टियों के बीच मामला एवं प्रति मामला चल रहा है और झुरी सिंह (अ0सा0 5) को छोड़कर, कोई भी इस मामले में घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है। स्वयं सूचक द्वारा स्वीकार किया है, भूमि विवाद है और इस तरह विद्वान विचारण न्यायालय, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 324 के तहत अपीलकर्त्ता को दोषी ठहराने के लिए न्यायोचित नहीं है।

5. अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि जाबिर हुसैन ने पाँच नामित व्यक्तियों वर्तमान सूचक–झारी सिंह के साथ–साथ धनू सिंह, अजय राम, हरि सिंह और एक प्रसादी सिंह के खिलाफ उसके पिता (जसमुद्दीन अंसारी) पर प्रहार करने के लिए प्रति

मामला दाखिल किया था लेकिन उक्त मामले को वर्तमान मामले के बाद स्थापित किया गया था। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि भूमि विवाद के कारण पक्षों के बीच मामला और प्रति मामला के मद्देनजर विद्वान विचारण न्यायालय मामले के एकमात्र गवाह–सह–पीड़ित की गवाही पर अपीलकर्त्ता को दोषी ठहराने के लिए न्यायाचित नहीं जिसका परीक्षण अ0सा0–5 (झारी सिंह) के रूप में की गई है और निवेदन किया है कि संदेह का लाभ अपीलकर्त्ता के पक्ष में प्रदान किया जा सकता है।

6. राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री संजय कुमार पांडे ने निवेदन किया है कि दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश अभिलेख पर लाए गए सबूतों पर आधारित है। सूचक अ0सा0 5 (झारी सिंह) ने प्राथमिकी में स्पष्ट रूप से कहा है कि आरोपी जासिम मियां ने उसकी दाहिनी जांघ पर चाकू से हमला किया जिससे चोट की रिपोर्ट से पुष्टि किया गया जिसे प्रदर्श–1 के रूप चिन्हित किया गया है और डॉ0 राम रेखा (अ0सा0 3) द्वारा साबित किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यथाकथित सूचक अ0सा0–5 का परिसाक्ष्य अथवा न्यायालय में अ0सा0–5 के रूप में उसका अभिसाक्ष्य बहुत सुसंगत है, इस प्रकार, इस प्रभाव की पृष्ठभूमि में अ0सा0–5 की विश्वसनीयता विवादित नहीं किया जा सकता है कि उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि आरोपी जासिम मियां ने चाकू से उसकी दाहिनी जांघ पर हमला किया है और उक्त चोट न्यायालय को भी दिखाई गई थी। इस गवाह ने यह भी कहा कि झारी सिंह (अ0सा0–5) को छोड़कर, किसी ने भी घटना नहीं देखी है, इस दशा में इस गवाह की विश्वसनीयता विश्वसनीय है और इसतरह, अभिलेख पर कुछ भी नहीं है जो सूचक का ब्यान अविश्वसनीय बनाएगा।

7. अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री संजय कुमार पांडे को सुनने पर और अभिलेखों के अवलोकन पर भी यह न्यायालय की राय है कि अभिलेख पर लाया गया साक्ष्य अभियोजन मामले के साथ संगत हैं और अपीलकर्त्ता को दोषी ठहराने के लिए विद्वान विचारण न्यायालय न्यायोचित है, क्योंकि अ0जा0–5 (झुरी सिंह) का साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य (प्रदर्श–1) के साथ संगत है और भारतीय दंड संहिता और विशेष अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन अन्य अभियुक्तों और अपीलार्थी को भी दोषमुक्त करके और इस तरह, यह न्यायालय एस0सी0/एस0टी0 वाद सं0–18/1999 में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–सह–विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम मामला, गढ़वा द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश, दोनों दिनांक 17.12.2003 को बरकरार रखते हुए पुष्टि करता है। जहाँ तक दण्डादेश का सवाल है विद्वान विचारण न्यायालय ने अपराधी परिवीक्षा अधिनियम को धारा 4 (1) का भी लाभ दिया है, इस तरह विद्वान विचारण न्यायालय उदार दृष्टिकोण अपनाया गया है और इस न्यायालय के पास इसमें हस्तक्षेप करने के लिए कोई कारण नहीं है। दोषसिद्धि के निर्णय एवं अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत बंध पत्र निष्पादित करने के आदेश को पुष्टि किया जाता है।

8. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, तत्काल आपराधिक अपील खारिज किया जाता है।

9. इस न्यायालय द्वारा दिनांक 20.02.2004 को दिए गए अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया जाता है। अपीलकर्त्ता ने बंध पत्र दाखिल किया और उसी बंध पत्र पर रहेगा जैसा की निचली न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया है।

10. इस फैसले की एक प्रति के साथ निचली न्यायालय अभिलेख को संबंधित अदात को भेजी जाए।

ह0

(कैलाश प्रसाद देव, न्याया0)

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।
दिनांक 2 मई, 2018